न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 : 02/2019

अनवान :

1. महेश कुमार पुत्र श्री रामकुमार जाति अग्रवाल बंसल निवासी वार्ड नं0 3 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. रानी देवी पुत्री रामकुमार जाति अग्रवाल बंसल निवासी वार्ड नं0 3 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. शान्ति देवी पत्नी रामकुमार जाति अग्रवाल बंसल निवासी वार्ड नं0 3, भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. संवरमल पुत्र रामकुमार जाति अग्रवाल बंसल निवासी वार्ड नं0 3 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. किशनलाल पुत्र रामकुमार जाति अग्रवाल बसंल निवासी वार्ड नं0 3 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. वेदप्रकाश पुत्र रामकुमार जाति अग्रवाल बंसल निवासी वार्ड नं0 3 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. अनिल कुमार पुत्र रामकुमार जाति अग्रवाल बंसल निवासी वार्ड नं0 3 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट वास्ते रिकार्ड दुरूस्ती

उपस्थिति : वकील श्री राजेन्द्र गोयल : प्रार्थीगण

वकील श्री संदीप गोदारा : अप्रार्थीगण सं0 1 व 3

निर्णय **दिनांक : 25.04.2019**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा डूंगराना के खाता सं0 446/408 में खसरा सं0 117, तादादी 0.923 है0 बारानी तादादी 5.362 है0 बारानी कुल तादादी 6.285 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि स्थित है जो प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के नाम बहिस्सा बराबर खातेदारी दर्ज है।

उक्त जमाबंदी में प्रार्थीया रानी देवी का नाम टाईपिंग भूल की वजह से राजीदेवी दर्ज किया हुआ है, जबकि प्रार्थीया का वास्तविक नाम रानीदेवी है। सदस्य प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं मतदाता पहचान पत्र में भी प्रार्थीया का नाम रानीदेवी दर्ज है।

प्रार्थीया का नाम रानीदेवी की जगह राजीदेवी दर्ज रहने से प्रार्थीया के अधिकारों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है, इसलिए प्रार्थीया अपना नाम जमाबंदी में राजीदेवी की बजाय रानीदेवी दर्ज करवाने के अधिकारी है। चूंकि प्रार्थीया शादीशुदा है एवं अपने ससूराल रहती है। इसलिए कार्ड एंव राशन कार्ड में प्रार्थीया रानीदेवी के पति का नाम लालचंद दर्ज है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिऐ नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामील होने के उपरान्त अप्रार्थीगण सं0 1 ता 3 ने

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)

जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि प्रार्थीया रानीदेवी का नाम टाईपिंग भूलवंश रानीदेवी दर्ज हो गया। जिसका वास्तविक नाम रानीदेवी है।

प्रार्थीया अपने राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, सदस्य प्रमाण पत्र के आधार पर रोही मौजा डूंगराना के खाता सं0 446/408 में प्रार्थीया राजीदेवी की बजाय रानीदेवी दर्ज किया जाता है तो मिन अप्रार्थीगण को किसी भी प्रकार से कोई आपत्ति या एतराज नहीं है। मुताबिक अनुतोष दरख्वास्त स्वीकार की जावे।

अप्रार्थी सं0 4 पेरोकार राज ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि प्रार्थीया रानीदेवी का नाम जानकारी के अभाव में स्वीकार नहीं है। प्रार्थीगण अपनी साक्ष्य या दस्तावेजी सबुतों से साबित करें।

प्रार्थीगण अपने दस्तावेजों के आधार पर व साक्ष्य के आधार पर राजस्व रिकार्ड वर्तमान जमाबंदी में राजीदेवी के स्थान पर रानीदेवी दुरूस्त करवाते है तो मुझ अप्रार्थी को किसी भी प्रकार की आपत्ति या एतराज नहीं है।

बहस सुनी गई। हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण ने ग्राम डूंगराना के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया सं0 2 का नाम दुरूस्त करवाने हेतु पेश किया है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि प्रार्थीया रानी देवी का नाम टाईपिंग भूल की वजह से राजीदेवी दर्ज हो गया, जबकि प्रार्थीया का वास्तविक नाम रानीदेवी है। अप्रार्थीगण सं0 1 ता 3 ने भी प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र के उक्त कथनों की पुष्टि करते हुए प्रार्थिया का सही व वास्तविक नाम रानीदेवी होना अपने जबाब आवेदन में अंकित किया है। अप्रार्थी सं0 4 पेरोकार राज ने भी अपने जबाब की मद सं0 3 में अंकित किया है कि प्रार्थीगण अपने दस्तावेजों के आधार पर व साक्ष्य के आधार पर राजस्व रिकार्ड वर्तमान जमाबंदी में राजीदेवी के स्थान पर रानीदेवी दुरूस्त करवाते है तो मुझ अप्रार्थी को किसी भी प्रकार की आपत्ति या एतराज नहीं है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में जो चित्रप्रति चित्रप्रति आधार कार्ड, चित्रप्रति वोटर आई डी कार्ड पेश किये है उनमें प्रार्थीया का नाम रानीदेवी अंकित है तथा वारिस प्रमाण पत्र के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि रामकुमार के रानी देवी व शान्ती देवी नाम की दो पुत्रियां है इनके अलावा राजी देवी नाम से कोई पुत्री नहीं है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थीया साबित है।

अत : प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि रोही मौजा डूंगराना की जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 के खाता सं0 446/408 में खसरा सं0 117, तादादी 0.923 है0 बारानी तादादी 5.362 है0 बारानी कुल तादादी 6.285 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि के रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम राजीदेवी के स्थान पर रानीदेवी उर्फ राजीदेवी दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। तहसीलदार राजस्व भादरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.04.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)

25.4.19

(सुखाराम पिण्डेल)

R.A.S.

उपखण्ड अधिकारी

भादरा, जिला हनुमानगढ़